

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

“भवनों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधारने” विषय पर सम्मेलन

नई दिल्ली, 05 सितम्बर, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को संयुक्त रूप से “भवनों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधारने” विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें लगभग 300 भागीदारों ने भाग लिया था जिसमें सरकारी अधिकारी, दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता, आपरेटरों, ओईएम, सम्पत्ति डेवलेपर, वास्तुविद्, परामर्शदाता, उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह, आरडब्ल्यूए आदि ने भाग लिया।

2. सम्मेलन का उद्घाटन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव महोदय, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, डॉ० आर० एस० शर्मा, ने किया। दोनों उद्घाटनकर्ता वक्ताओं ने भवनों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधारने पर बल दिया, जोकि एक चुनौति है चूंकि गली से आने वाला सिग्नल भवन की दीवारों को भली-भांति नहीं भेद पाता है, जिससे असमान कवरेज होती है। महामारी के दौरान यह आवश्यकता और बढ़ गई और इसके भविष्य में कम होने की संभावना भी नहीं है।

3. सम्मेलन को चार तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था, जहां भारत, सिंगापुर, यूरोप और अमेरीका से विशेषज्ञों ने वांछित सेवा की गुणवत्ता प्रदान करते हुए नीति, विनियामक, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की।

4. विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 में दूरसंचार अवसंरचना के उपबंधों पर चर्चा की कि उनकी प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सके, और भवनों के भीतर सेवाओं को प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जा सके। ओईएम (नोकिया और एरिकसन) ने उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों की एक झलक उपलब्ध कराई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने ऐसी पद्धतियों के बारे में अपने विचार साझा किए जिन्हें विश्व के अन्य भागों में प्रभावी पाया गया है। इस सम्मेलन का समापन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर गहराई से किए गए मामला अध्ययन के साथ हुआ।

5. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री असित काद्यान, सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से उनसे दूरभाष नम्बर +91-11-23230404 और फ़ैक्स नम्बर +91-11-23213036 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(एस० के० गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें

कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।